

भा.कृ.अनु.प.-भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान
लाइब्रेरी एवेन्यू, नई दिल्ली-110012

सं. : 9(4)/2019-हिन्दी


दिनांक : २५ मई, 2019

परिपत्र

संस्थान में कार्यरत अधिकारियों को हिन्दी में डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी योजना, जो संस्थान में पहले से लागू है, इस वित्त-वर्ष 2019-20 की अवधि (01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक) के लिए निदेशक महोदय के अनुमोदनोपरान्त लागू की जा रही है। भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, उत्तरी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (दिल्ली) के उप-निदेशक (कार्यान्वयन) के 21 नवम्बर, 2016 के पत्र सं. 19/1-58/2011-उ.क्षे.का.का-1(दि)/3403-3460 के साथ प्राप्त भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के संयुक्त निदेशक (नीति) के 14 सितम्बर, 2016 के कार्यालय ज्ञापन 12013/01/2011-रा.भा.(नीति) के अनुसरण में उक्त योजना के पुरस्कारों की राशि में वृद्धि को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। इस योजना की रूपरेखा इस प्रकार है :

1. ऐसे सभी अधिकारी जिन्हें आशुलिपिक की सुविधा उपलब्ध है, या जो सामान्यतः डिक्टेशन देते हैं, इस योजना में शामिल हो सकते हैं।
2. योजना की अवधि वित्त-वर्ष 2019-20 (01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक) होगी।
3. योजना में भाग लेने वाले अधिकारी उनके द्वारा हिन्दी में दिये गये डिक्टेशन के बारे में रिकार्ड रखें। यह रिकार्ड उनके आशुलिपिक/निजी सहायक/निजी सचिव भी रख सकते हैं लेकिन उसके सत्यापन का पूरा उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिकारी का होगा।
4. पुरस्कार योजना के अन्तर्गत पुरस्कार की राशि रु. 5,000/- होगी। पुरस्कार दो भी रखे जा सकते हैं। एक पुरस्कार ऐसे अधिकारियों के लिए जिनका घोषित निवास स्थान 'क' तथा 'ख' क्षेत्र के अन्तर्गत हो और दूसरा पुरस्कार ऐसे अधिकारियों के लिए जिनका घोषित निवास स्थान 'ग' क्षेत्र में हो।
5. पुरस्कारों के लिए आवश्यक डिक्टेशन कार्य की न्यूनतम सीमा का निर्धारण कार्यालय अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।
7. पुरस्कारों का निर्णय निदेशक महोदय द्वारा नामित मूल्यांकन अधिकारी अथवा मूल्यांकन समिति द्वारा किया जायेगा।

इस योजना में शामिल होने वाले सभी अधिकारियों से अनुरोध है कि वे वित्त-वर्ष 2018-19 (01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक) के दौरान उनके द्वारा हिन्दी में दिये गये डिक्टेशन सम्बन्धी आँकड़े निर्धारित संलग्न प्रपत्र में भरवाकर 15 अप्रैल, 2020 तक हिन्दी एकक में भिजवाने की कृपा करें ताकि मूल्यांकन समिति द्वारा पुरस्कार हेतु उन पर विचार किया जा सके।



(ऊषा जैन)

प्रभारी, हिन्दी एकक एवं
सहायक मुख्य तकनीकी अधिकारी

वितरण :

1. समस्त अधिकारीगण।
2. निदेशक महोदय के निजी सहायक।
3. कार्यालय प्रधान के निजी सहायक।
4. सहायक वित्त एवं लेखा अधिकारी।
5. अध्यक्ष, संगणक अनुप्रयोग प्रभाग से अनुरोध है कि इस परिपत्र को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करवाने की कृपा करें।
6. प्रभारी, संग्रहालय/गार्ड फाइल।

हिन्दी में अधिक से अधिक डिक्टेशन से सम्बन्धित पुरस्कार योजना के अन्तर्गत रखे जाने वाले रिकार्ड का प्रोफार्मा

(वित्त वर्ष 2019-20)

क्रम संख्या / दिनांक	डिक्टेशन से लिखे गये शब्दों की संख्या	फाइल संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4